

27/04/2020
Monday

D.El. Ed 4th Sem

विद्यालय प्रबंधन में विभिन्न समुदायों की भूमिका
Role of Different Communities in
School Management

ग्राम शिक्षा समिति [VECA]
Village Education Committee

ग्राम शिक्षा समिति अपने पंचायत क्षेत्रों में बेसिक, प्राथमिक, विद्यालय की स्थापना, निगरान एवं प्रारूप बनाती है।

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 की धारा 11(1) में प्रत्येक ग्राम समिति के निम्न लिखने लिए यू.पी. पंचायत राज्य एक्ट 1947 के अधीन गाँव यथा स्थापित हैं, उस गाँव शिक्षा समिति की स्थापना की संकल्पना की गई तथा इसके लिए प्रत्येक गाँव में ग्राम शिक्षा बनाई गई। स्थायी नियम सन् 1972 का सन् 1975 में संशोधन किया गया। इसके लिए प्रत्येक गाँव में ग्राम शिक्षा समिति बनाई गई।

अध्यक्ष — ग्राम प्रधान ।

सचिव — ग्राम स्थित परिषदीय विद्यालय का निरिद्ध प्रधानाध्यापक।

सदस्य — क्षेत्रीय सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नामित विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र के तीन अध्यापक।

कुल सदस्य 5 जिसमें कम से कम एक सदस्य अनुसूचित जाति का व एक महिला सदस्य।

ग्राम शिक्षा समिति के उद्देश्य

1- निर्वाचित जन प्रतिनिधि होने के कारण गाँव के शैक्षिक विकास में रुचि लेना तथा जिला स्तरीय अधिकारियों एवं प्रतिनिधियों से अपने स्वनात्मक सुझाव प्रस्तुत करना।

2- उस क्षेत्र के शैक्षिक विकास में रुचि लेना।

ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य

1 → ग्राम पंचायत का प्रधान - अध्यक्ष ।

2 → बेसिक स्कूलों के छात्रों के तीन शिक्षक और सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी मनोनीत ।

3 → ग्राम पंचायत में स्थित बेसिक स्कूल / मुख्य अध्यापकों में से सबसे

वैरिहृतम् अद्याप्य, समिति का स्वरूप शक्ति प्राप्त है।

ग्राम शिक्षा समिति के कार्य

- 1) पंचायत क्षेत्र से बेसिक स्कूलों की स्थापना उनका प्रशासन, निगन्तरी, और प्रबन्धन करना।
- 2) बेसिक स्कूलों के विकास, प्रयास, सुधार के लिए योजनाएं तैयार करना।
- 3) बेसिक शिक्षा एवं ज्यूनियर शिक्षा की अतिवृद्धि और विस्तार करना।
- 4) बेसिक स्कूलों, उनके शान्तों और उपकरणों के सुधार के लिए पिला पंचायत को सुझाव देना।
- 5) अध्यापकों, अन्य कर्मचारियों के समय पालन और उपस्थिति सुनिश्चित करना।

ग्राम शिक्षा समिति को प्राप्त होने वाले अनुदान

- 1) विद्यालय निर्माण के लिए।
- 2) शौचालय निर्माण के लिए।
- 3) शिक्षण आधिगम सामग्री के लिए।
- 4) शिक्षण आधिगम उपकरण के लिए।
- 5) पेय धत व्यवस्था के लिए।
- 6) छात्र वृत्ति, नि. शुल्क, गणवेश के लिए।
- 7) अन्य वित्तीय सहायता।

ग्राम शिक्षा समिति से अपेक्षाएँ

- 1) सभी सदस्यों को प्रत्येक बैठक में प्रतिभाग्य करना।
- 2) बाल गठाना में सहयोग देना।
- 3) आवश्यकताओं की पूर्ति में धन व समय से सहायता देना।
- 4) बच्चों के शत प्रतिशत नामांकन, हडराव। गुणात्मक शिक्षा प्रत्येक बच्चे के लिए सुनिश्चित करना।

ग्राम शिक्षा समिति के लिए सुझाव

- 1) ग्राम शिक्षा समिति की बैठक माह में एक बार आवश्यक की जाये।
- 2) शिक्षा समिति के गठन के सम्बन्ध में शिकायतें सुनना।
- 3) सुझावों पर तत्काल कार्य करना।
- 4) समिति के अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा विद्यालय का निरीक्षण करना।
- 5) विद्यालय की समस्याओं और उसके विकास के सम्बन्ध में विचार करना।

B.R.C. Geoband
Amis Bro - sapna
tyagi